FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0308 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 26/12/2024 17:15 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 06/09/2024 **Date To (दिनांक तक):** 07/09/2024
   Time Period (समय अवधि): पहर 4 **Time From (समय से):** 15:00 बजे **Time To (समय तक):** 11:00 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 26/12/2024 **Time (समय):** 14:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 26/12/2024 17:15:25 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 60 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** MAHATMA GANDHI RATANLAL MOHTA GOV.VIDHYALYA, RAJGARH,DISTRICT CHURU

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** KAMAL KUMAR BARVAD
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** NIHAL SINGH
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 12/04/2000 (d)**Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	WARD NO.28,RAJGARH, CHURU, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	WARD NO.28,RAJGARH, CHURU, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	JOGENDRA KUMAR		पिता:ARJUNRAM	1. DHANDHAL LEKHU,RAJGARH,CHURU,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	एक हजार रूपये प्रति माह रिश्वत की मांग करना	1,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि श्री कमल कुमार बरबड़ पुत्र श्री निहाल सिंह जाति मेघवाल उम्र 24 साल निवासी वार्ड नम्बर 28 राजगढ जिला चूरू ने दिनांक 06.09.2024 को एसीबी चौकी चूरू उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र श्री शब्बीर खान उप अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर श्रीमान उप अधीक्षक महोदय द्वारा मन् महेन्द्र कुमार पुलिस निरीक्षक को अग्रिम कार्यवाही करने हेतु अधिकृत करने पर प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। लिखित प्रार्थना में परिवादी ने अंकित किया है कि "मैनें स्नातक परीक्षा उतीर्ण कर ली है तथा जिला रोजगार कार्यालय चूरू में बेरोजगारी भत्ते के लिये पंजीयन करवा रखा है। जिला रोजगार कार्यालय चूरू द्वारा युवा संबल योजना के अन्तर्गत अध्यापन कार्य हेतु मुझे रतनलाल मोहता रा.उ.प्रा. विद्यालय राजगढ में भेजा गया था। युवा संबल योजना के अन्तर्गत 02 साल तक प्रतिमाह 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता राज. सरकार द्वारा दिया जाता है। रतनलाल मोहता रा.उ.प्रा. विद्यालय प्रधानाध्यापक श्री जोगेन्द्र पूनियां के पास अगस्त माह 2024 का उपस्थिति प्रमाण-पत्र लेने गया तो उसने मुझे कहा कि अब से आगे मासिक उपस्थिति प्रमाण-पत्र चाहिए तो प्रतिमाह 1000 रुपये बिना अनुपस्थिति लगाये मासिक उपस्थिति प्रमाण-पत्र देने की एवज में रिश्वत की मांग की । मैं प्रधानाध्यापक को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं तथा रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़वाना चाहता हूं। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। परिवादी की उक्त रिपोर्ट पर मजीद पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपनी रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को सही होना व उक्त रिपोर्ट स्वयं द्वारा लिखित एवं हस्ताक्षरित होना बताया। परिवादी की रिपोर्ट एवं दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांगने का पाया गया। परिवादी श्री कमल कुमार बरबड़ को आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के सम्बन्ध में पूछा तो बताया कि वह कल दिनांक 07.09.2024 को श्री जोगेन्द्र पूनियां प्रधानाध्यापक से अपने काम के सम्बन्ध में मिलूंगा तथा मैं कल चूरू आने में असमर्थ हूं। इस पर दिनांक 07.09.2024 को श्री राजकुमार कानि. 223 को चौकी का सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर सुपुर्द कर परिवादी श्री कमल कुमार बरबड़ से सम्पर्क करने हेतु राजगढ के लिये रवाना किया गया। उसी दिन वक्त 04.00 पी.एम. पर श्री राजकुमार कानि. 223 हाजिर चौकी आकर वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया तथा कानि. ने बताया कि "मैं राजगढ पहुंच कर परिवादी कमल कुमार से मिला व अपना परिचय देकर उदेश्य से अवगत कराया तथा हम दोनों रतनलाल मोहता राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजगढ के पास पहुंचे। मैनें परिवादी कमल कुमार को वॉईस रिकार्डर चालू कर जोगेन्द्र पूनियां प्रधानाध्यापक से होने वाली वार्ता को सावधानीपूर्वक रिकार्डिंग करने की हिदायत देकर रवाना किया। कुछ समय पश्चात परिवादी कमल कुमार मेरे पास आया व बताया कि मैं श्री जोगेन्द्र पूनियां प्रधानाध्यापक से मिला ओर मेरे काम के सम्बन्ध में बात की तो जोगेन्द्र पूनियां प्रधानाध्यापक ने मेरे स्कूल में मासिक उपस्थिति प्रमाण पत्र सितम्बर माह देने की ऐवज एक हजार रूपये रिश्वत की मांग की। मैनें वार्ता को सावधानीपूर्वक रिकार्ड किया है और वॉईस रिकार्डर मुझे सुपुर्द कर दिया। मैनें वॉईस रिकार्डर को चालू कर वार्ता सुनी तो परिवादी के कथनों की पुष्टि होती है। परिवादी ने बताया कि जोगेन्द्र पूनियां प्रधानाध्यापक ने सितम्बर माह के अन्त में मिलने के लिये कहा है, उनके द्वारा सम्पर्क करने पर मैं आपसे मिल लूंगा। परिवादी कमल कुमार को राजगढ में ही छोड़ा गया"। वॉईस रिकार्डर को चालू कर सुना गया तो उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि हुई। वॉईस रिकार्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सुरक्षित रखा गया। दिनांक 04.10.2024 को परिवादी श्री कमल कुमार बरवड़ निवासी राजगढ जिला चूरू उपस्थित आया, जिसने श्री राजकुमार कानि. के पूर्व के कथन दिनांक 07.09.2024 की पुष्टी की व बताया कि मैं श्री राजकुमार कानि. से वॉईस रिकॉर्डर लेकर रतनलाल मोहता राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजगढ जिला चूरू में श्री जोगेन्द्र पूनियां प्रधानाध्यापक से मेरे काम के सम्बन्ध में वार्ता की गई तो श्री जोगेन्द्र पूनियां प्रधानाध्यापक ने मेरे से कहा कि "तेरे को बहुत फायदा मिल गया, पीछे के रुपये नहीं लगे है और बहुत बार तेरे को हाजरी पूरी मिल गई है, अब समाधान नहीं है बस पैसे दे दो। तब मैनें कहा कि हजार रुपये कब लोगे तब श्री जोगेन्द्र पूनियां ने मेरे को कहा कि हजार रुपये तेरी सैलरी आवे तब दे जाना, तेरी तो आने ही लग रही है, तेरी यह सैलरी दे तब बना ही देगें अगली, अब आली, पीछे वाली पूरी ले तो पिछला भी हजार देना पड़ेगा और कहा कि इस बार आने की टाल (आने की जरूरत नहीं) कर देना और हाजरी पांच-सात दिन में एक बार आकर कर देना तथा हजार रुपये रिश्वत की मांग की। परिवादी कमल कुमार व आरोपी श्री जोगेन्द्र पूनियां प्रधानाध्यापक रतनलाल मोहता राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजगढ जिला चूरू के मध्य रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता जो वॉईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है को परिवादी व कानि. राजकुमार के समक्ष जरिये लेपटोप सुन-सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की गई

तथा रिकॉर्ड वार्ता की दो डीवीडी तैयार करवायी गई जिसमें से एक डीवीडी आरोपी के लिए कपडे की थैली में डालकर कर सील्ड कर मार्क क्रमश: A-1 अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा एक डीवीडी को खुला रखा गया। वॉईस रिकॉर्डर मे से मेमोरी कार्ड को निकाल कर मेमोरी कार्ड के उसके रैपर में डालकर मेमोरी कार्ड को रैपर सहित कपडे की थैली में डालकर कर सील्ड कर मार्क A अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। जब्त वजह सबूत को मालखाना में जमा करवाया गया। तत्पश्चात दिनांक 22.10.2024 को परिवादी श्री कमल कुमार बरबड़ हाजिर चौकी आया तथा एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि दिनांक 07.09.2024 को श्री जोगेन्द्र सिंह प्रधानाध्यापक ने मेरे से मेरे बेरोजगार भत्ते का उपस्थिति प्रमाण-पत्र देने की एवज में हजार रुपये प्रतिमाह रिश्वत की मांग की गई थी परन्तु अब श्री जोगेन्द्र पूनियां प्रधानाध्यापक मेरे से रिश्वत खुद नहीं ले रहा क्योंकि उसे संदेह हो गया है। इस प्रकार आगे की ट्रेप कार्यवाही नहीं की जा सकी। इस प्रकार परिवादी कुमल कुमार बरवड़ जिसने जिला रोजगार कार्यालय चूरू में बेरोजगारी भत्ते के लिये पंजीयन करवा रखा है जिसको जिला रोजगार कार्यालय चूरू द्वारा युवा संबल योजना के अन्तर्गत अध्यापन कार्य हेतु रतनलाल मोहता राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजगढ जिला चूरू आवंटित की गई। युवा संबल योजना के अन्तर्गत 02 साल तक प्रतिमाह 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार द्वारा देय है। श्री जोगेन्द्र कुमार प्रधानाध्यापक द्वारा परिवादी श्री कमल कुमार बरबड़ से उसका माह सितम्बर 2024 का मासिक उपस्थिति प्रमाण-पत्र जारी करने तथा सप्ताह में एक बार विद्यालय आकर हाजरी लगाने की एवज में एक हजार रुपये प्रतिमाह रिश्वत की मांग की गई है। श्री जोगेन्द्र कुमार वरिष्ठ अध्यापक/प्रधानाध्यापक महात्मा गांधी रतनलाल मोहता राजकीय विद्यालय राजगढ जिला चूरू (राज.) का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध करना प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाता है। अतः श्री जोगेन्द्र कुमार पुत्र अर्जुनराम उम्र 36 वर्ष जाति जाट निवासी ढंढाल लेखू तहसील राजगढ जिला चूरू हाल वरिष्ठ अध्यापक/प्रधानाध्यापक महात्मा गांधी रतनलाल मोहता राजकीय विद्यालय राजगढ जिला चूरू (राज.) के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियोग पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान् महानिदेशक, भ्र0नि0 ब्यूरो राज0 जयपुर की सेवामें प्रेषित है। भवदीय (महेन्द्र कुमार) पुलिस निरीक्षक, भ्र0नि0 ब्यूरो चूरू..........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेन्द्र कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चुरू ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री जोगेन्द्र कुमार पुत्र अर्जुनराम उम्र 36 वर्ष जाति जाट निवासी ढंढाल लेखू तहसील राजगढ जिला चूरू हाल वरिष्ठ अध्यापक/प्रधानाध्यापक महात्मा गांधी रतनलाल मोहता राजकीय विद्यालय राजगढ जिला चूरू (राज.) के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री शब्बीर खान, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चुरू को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 326 पर अंकित है। (कालूराम रावत) उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1705-08 दिनांक 26-12-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर । 2- संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा चूरू संभाग, चूरू। 3- उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, तृतीय जयुपर। 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चुरू। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SABBIR KHAN **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

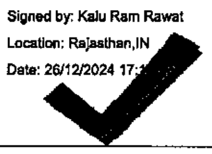

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): KALU RAM RAWAT

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	20/12/1988				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)